

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 2.9.13

संख्या -3/एम०-098/2010सा०प्र० 14227 / भारत संविधान के अनुच्छेद- 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल "बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2011" में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।-

- (1) यह नियमावली "बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) (संशोधन) नियमावली, 2013" कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2011 का नियम- 3(ग) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-


(ग)	प्रधान लिपिक	द्वितीय प्रोन्नति स्तर	पीबी-2	9300-34800	4200
-----	--------------	------------------------	--------	------------	------

3. उक्त नियमावली, 2011 का नियम-6 (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

"(i) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता कम्प्यूटर संचालन एवं कम्प्यूटर टंकण ज्ञान के साथ इन्टरमीडिएट(10+2) उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।"

4. उक्त नियमावली, 2011 के नियम-13(2) के क्रमांक-(क) में शब्द "उप विकास आयुक्त" शब्द "जिला पदाधिकारी" द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


  
(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या -3/एम-098/2010 सा० 14227 /

पटना, दिनांक 2.9. 2013

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।




सरकार के अपर सचिव।

ज्ञाप संख्या -3/एम-098/2010 सा० 14227 /

पटना, दिनांक 2.9. 2013

प्रतिलिपि :- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के अपर सचिव।

बिहार सरकार  
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 2.9.2013  
संख्या -3/एम-098/2010सांप्र० 14228 / अधिसूचना संख्या 14227 दिनांक 2.9.13  
.....का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित  
किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में  
इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

Government of Bihar  
General Administration Department

NOTIFICATION

Patna-15, dated..2.9.2013

No.-3/M-098/2010-GAD.14227/In exercise of Power conferred under proviso to Article -309 of the constitution of India, the Governor of Bihar, is pleased to make the following amendment Rules to amend the "Bihar Collectorate Clerical Cadre (recruitment and conditions of services) Rules, 2011."

1. **Short title, extent and commencement.**- (i) These Rules may be called as the "Bihar Collectorate Clerical Cadre (recruitment and conditions of service) (Amendment) Rules 2013."

(ii) It shall extend to whole of the State of Bihar.

(iii) It shall come into force with immediate effect.

2. Rule 3(c) of the Rule, 2011" shall be substituted by the following:-

(c)	Head Clerk	Second promotion Level	PB-2	9300-34800	4200
-----	------------	------------------------	------	------------	------

3. Rule 6 (1) of the said Rules, 2011 shall be substituted by the following:-

"(1) The minimum educational qualification shall be Intermediate (10+2) pass or equivalent, with knowledge of computer operation and computer typing."

4. The words "Deputy Development Commissioner" in rule 13(2)(a) of the said Rules, 2011 shall be substituted by the words "District Officer."

By the order of the Governor of Bihar

(Bashisth Singh)

Additional Secretary to Government

ज्ञाप संख्या -3/एम-098/2010सांप्र० 14228/ पटना, दिनांक 2.9.2013

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के अपर सचिव।